



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अनीस को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कठोर कारावास व 7 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि अभियुक्त अनीस पुत्र शरीफ निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2019 में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0- 87/2019 धारा 354/354A भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक- 04.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल न्यायाधीश पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अनीस को दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास व 7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक- 04.05.2024

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 106/24 धारा 363/376D(A) भादवि 5G/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.04.2024 को वादी यामीन उर्फ काला हकीम पुत्र मंगता निवासी ग्राम असारा थाना रमाला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि उसकी पुत्री घर से बिना बताये कहीं चली गयी है व वापस नहीं आयी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 106/24 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया ।



नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य व पीड़िता के बयान के आधार पर अभियुक्तों 1-नदीम पुत्र युनुस, 2-तौहीद पुत्र तनवीर व 3-गुफरान पुत्र मौहम्मद निवासीगण ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये व धारा 376D(A) भादवि व 5G/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0

106/24 धारा 363/376D(A) भादवि व 5G/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-नदीम पुत्र युनुस निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-तौहीद पुत्र तनवीर निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री शिवदत्त सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री राकेश शर्मा थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3-है0का0 263 मौ0 आरिफ थाना रमाला जनपद बागपत।
- 4-का0 800 घनेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत।
- 5-का0 19 सोनित थाना रमाला जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक-04.05.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 257/24 धारा 302/504/506/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध छुरा हुआ बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.04.2024 को थाना बडौत पर वादी वाजिद पुत्र असफाक निवासी सुनहरी मस्जिद के पास कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.समीर, 2.तौफीक, 3.कदीम पुत्रगण शफीक उर्फ हड्डी, 4.शफीक उर्फ हड्डी पुत्र ईशाक निवासीगण मौहल्ला पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने एक राय होकर गाली-गलौच करते हुए



उसके भाई उमर पुत्र असफाक की चाकू मार कर हत्या कर दी और मौके पर आये उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 257/24 धारा 302/504/506/34 भादवि पंजीकृत किया गया एवं विवेचना की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 257/24 धारा 302/504/506/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को मा० न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध छुरा बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि कर थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त का नाम व पता-

समीर पुत्र सफीक उर्फ हडडी निवासी पट्टी चौधरान करुबा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध छुरा।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-उ०नि० श्री कृष्ण सौम्यात्रे थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-है०का० 430 कुलदीप मौरल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-है०का० 465 मनीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 04.05.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से बने/अधबने 119 किलोग्राम अवैध पटाखे व पटाखे बनाने की सामग्री एवं एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं विस्फोटक सामग्री की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से बने/अधबने 119 किलोग्राम अवैध पटाखे व पटाखे बनाने की सामग्री एवं एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0371/2024 धारा 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नईम पुत्र तासीर निवासी करबा अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- बने/अधबने 119 किलोग्राम अवैध पटाखे व पटाखे बनाने की सामग्री ।
- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-म0उ0नि0 यूटी दीपशिखा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 422 राजन सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-का0 846 नरेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक- 04.05.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक मोटरसाईकिल हीरो डीलक्स फर्जी नम्बर प्लेट नं0-UP15CH-3599 लगी बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाईकिल हीरो एच0एफ0 डीलक्स फर्जी नम्बर प्लेट नं0-UP15CH3599 लगी बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0372/2024 धारा 465 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शकील पुत्र कासम अली निवासी पुराना कस्बा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

● एक मोटरसाईकिल हीरो एच0एफ0 डीलक्स फर्जी नम्बर प्लेट नं0 UP-15CH-3599

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 214 उमेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक-04.05.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से थाना बालैनी व थाना बिनौली क्षेत्र से चोरी की हुई मो0सा0 हीरो स्प्लेंडर प्लस नं0 UP17-U-4313 व मो0सा0 बजाज पल्सर नं0 UK-08AD-0452 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से थाना बालैनी व थाना बिनौली क्षेत्र से चोरी की हुई मो0सा0 हीरो स्प्लेंडर प्लस नं0 UP17-U-4313 व मो0सा0 बजाज पल्सर नं0 UK-08AD-0452 बरामद बरामद हुई हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 310/24 धारा 411/414 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-प्रिंस पुत्र जितेन्द्र निवासी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली ।
हालपता ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-विष्णु पुत्र महक सिंह निवासी सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- मो0सा0 हीरो स्प्लेंडर प्लस नं0 UP17-U-4313 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 61/24 धारा 379 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत)
- मो0सा0 बजाज पल्सर नं0 UK-08AD-0452 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 122/24 धारा 379 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार तोमर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 216 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक- 04.05.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

दीपक पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-का0 399 राहुल चौहान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।